

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वार्षिक स्थानांतरण सत्र 2019-20 में कार्मिकों के वार्षिक स्थानांतरण हेतु उक्त समय-सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,
(राधा रत्नाली)
अपर मुख्य सचिव

संख्या (1) / XXX(2) / 2019 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, माठ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के संज्ञानार्थ प्रेषित।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(एस०एस०वल्दिया)
अपर सचिव